न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 04/2019
GCMS No. : 2019/00015

प्रार्थीः— बनाम अप्रार्थीगण :—

दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, पाली

धनराज पुत्र हरजीराम जाति साठिया
मैसर्स देवल डेयरी रामदेव नगर प्रा.लि.
सोमेसर तहसील रानी जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री खुमाराम परिहार अनुपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक : 14.09.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 23.07.2018 को दौराने गश्त मैसर्स देवल डेयरी प्रा.लि.रामदेव नगर सोमेसर पर गया जहां पर अप्रार्थी धनराज (विक्रेता मालिक) उपस्थित मिला, जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की डेयरी पर एक स्टील टैंक में लगभग 1200 लीटर दुध आमजन को बिक्री के लिए रखा हुआ था। विक्रेता ने यह बताया की यह मिक्स दुध है, जिसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर रूबरू गवाहान प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में डेयरी पर रखे मिक्स दुध को हिला मिलाकर एकरूप करके उसमे से 2 लीटर मिक्स दुध वास्ते जांच हेतु क्रय कर एक साफ सुखी व खाली स्टील की भगोनी में लिया। उक्त क्रयशुदा 2 लीटर दुध की कीमत रूपये 80/— नकद विक्रेता को देकर उसकी रसीद प्राप्त की, जिस पर गवाह, प्रार्थी एंव विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा मिक्स दुध को विक्रेता एंव गवाहान के सामने चार भागो में विभक्त करके चार सुखी शीशी में बराबर मात्रा में डालकर प्रत्येक को एयर टाईट बंद कर दिया और प्रत्येक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर—798 अंकित कर नमुने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

सीलमुहर किया तथा सभी पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर ही विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वंय ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वंय प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त दुध के नमूने को नियमानुसार प्रार्थी ने वास्ते जांच दिनांक 24.07.2018 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/562/एक्ट/2018/581 दिनांक 08.08.2018 के अनुसार अप्रार्थी की डेयरी से लिया गया मिक्स दुध का नमुना क्रमांक आर–798 अमानक स्तर का (Sub Standard) पाया गया। विक्रेता धनराज ने Sub Standard स्तर के मिक्स दुध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने लिखित जवाब पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मनगढत एवं गलत मानकर अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी ने बिना किसी आदेश के अप्रार्थी की डेयरी का निरीक्षण किया है, जिसके संबध में प्रार्थी ने अप्रार्थी को निरीक्षण के संबध में किसी प्रकार की सुचना नही दी गई जो सरासर गलत एंव नियम विरूद्ध है। प्रार्थी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थी से रूपये 10,000/– की मांग किये जाने पर नही देने की सूरत मे तमाम कार्यवाही की गई। अप्रार्थी की डेयरी से लिया गया मिक्स दुध का नमूना जो जाचं हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया था उसमें विधिवत प्रक्रिया की पालना नही की गई है। अप्रार्थी एक कम पढा लिखा एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी नही थी। इसलिए अप्रार्थी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण विधि विरूद्ध होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थी को न्याय प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की दुकान मैसर्स देवल डेयरी प्रा.लि. रामदेव नगर सोमेसर तहसील रानी से नमुना क्रमांक आर–798 मिक्स दुध का नमुना लेते समय नियमानुसार नमुना प्रपत्र तैयार कर मौके पर उपस्थित विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर की गई, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.07.2018 को अप्रार्थी की फर्म से मिक्स दुध क्रय कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमुना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./562/एक्ट/2017/581 दिनांक 08.08.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–798 को अमानक स्तर Sub-standard का माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा मिक्स दुध अमानक स्तर (Sub-standard) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 14.09.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली